भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

Ref No: 3882-3885 **Dated: 04-04-2022**

इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरणों के वार्षिक रख–रखाव हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल से सम्बंधित जिले भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, गुना एवं अशोक नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित दुग्ध सहकारी समितियों एवं दुग्ध शीत केन्द्रों में मेसर्स रील, आकाश गंगा(कामधेनु) प्रॉम्पट(आर्बीट्रान) एवं स्टेलेप्स कम्पनी के स्थापित इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरण यथा आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan), आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan) एवं इलेक्ट्रानिक मिल्कों टेस्टर + इलेक्ट्रानिक वेइंग स्केल (EMT+EWS) के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के वार्षिक रख–रखाव मय समस्त स्पेयर पार्ट्स हेतु आन–लाइन(On-Line) दरें आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 1,50,000/– ऑन–लाइन ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगी।

निविदा फार्म डाऊनलोडिंग की प्रांरभ दिनॉक व समय	निविदा भरने की अंतिम दिनॉक व समय	तकनीकी निविदा खुलने की दिनॉक व समय	निविदा प्रपत्र की राशि रू.	धरोहर राशि	वित्तीय निविदा खुलने की दिनॉक व समय सफल निविदाकारों को पृथक से सूचित किया जावेगा
06-04-2022 11:00 AM	12-04-2022 12:00 PM	13-04-2022 1:00 PM	1000.00	1,50,000.00	

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण(निविदा कार्यक्रम/निविदा प्रस्तुत करने बावत् नियम एवं शर्ते/अनुबंध की शर्ते/मार्गों की विस्तृत जानकारी) मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com एवं www.sanchibhopal.com पर देखी जा सकती है, तथा निविदा बेबसाइट www.mptenders.gov.in के माध्यम से भरी जा सकती है। समस्त निविदाऐं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाइट के माध्यम में ही सूचित किया जायेगा अन्य किसी माध्यम से नहीं, अतः नियमित रूप से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com or www.sanchibhopal.com में देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 1000/–

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदा कार्यः–

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल से सम्बंधित जिले भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, गुना एवं अशोक नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित दुग्ध सहकारी समितियों एवं दुग्ध शीत केन्द्रों में मेसर्स रील, आकाश गंगा**(कामधेनु) प्रॉम्पट**(आर्बीट्रान) एवं **स्टेलेप्स** कम्पनी के स्थापित इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरण यथा आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan), आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan) एवं इलेक्ट्रानिक मिल्कों टेस्टर + इलेक्ट्रानिक **वेइंग** स्केल (EMT+EWS) के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के वार्षिक रख–रखाव मय समस्त स्पेयर पार्ट्स **हेतु ई–निविदा।**

ई–निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	: **06.04.2022 को प्रात 11:00 बजे से**
ई–निविदा क्रय एवं जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	: **12.04.2022 .को दोपहर 12:00 बजे तक**
तकनीकी ई–निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	: 13.04.2022 **को दोपहर 1:00 बजे**

पत्राचार हेतु पताः– : **भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज,
भोपाल–462024(म.प्र.)**

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र Online जमा किए जाने होगें।

(अ) धरोहर राशि (EMD) – (online)

(ब) Technical Bid – Online

(स) निविदा प्रपत्र (Price Bid)– Online

ANNEXURE I	: निविदा नियम एवं शर्तें
ANNEXURE II	: अनुबंध पत्र प्रारूप
ANNEXURE III	: अनिवार्य अहताऐं(चेक लिस्ट)
ANNEXURE IV	: निविदा प्रपत्र
ANNEXURE V	: भाव पत्र
ANNEXURE VI	: विजिट प्रमाण–पत्र

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरणों के वार्षिक रख रखाव हेतु निविदा प्रस्तुत करने बावत् नियम एवं शर्ते

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, द्वारा इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरण यथा आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan), आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम(Computer+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan) एवं इलेक्ट्रानिक मिल्कों टेस्टर + इलेक्ट्रानिक वेइंग स्केल (EMT+EWS) के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के वार्षिक रख–रखाव मय समस्त स्पेयर पार्ट्स हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को कृपया ध्यान से पढ़ लेवें।

2. (i) निविदा के साथ रूपये 1,50,000/–(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) के मान से प्रतिभूति राशि ऑन लाईन जमा करना होगी। ऑन लाइन जमा की गई(EMD)रूपये 1,50,000/– की मूल रसीद की स्केन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

   (ii) सुरक्षा निधि अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगी, जो कि अनुबंध पत्र के साथ जमा करनी होगी।

3. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।

4. निविदाकार के पास ग्रामीण स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जिलों में मजबूत सेवा नेटवर्क होना चाहिए। निविदाकार द्वारा भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जिलों के केन्द्रों एवं सेवा कर्मियों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्ष के वित्तीय पत्रक, अन्य सहकारी संस्थाओं/दुग्ध संघों में किये जाने गये वार्षिक रख–रखाव का अनुभव प्रमाण आदि की स्वप्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा में संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

6. निविदा में दर निर्धारण करते समय दो या अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर, आवंटन आदेश जारी किया जाएगा।

7. निविदा में सम्मिलित फर्म/कम्पनी में से प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की प्रतिभूति राशि को रोककर शेष निविदाकारों की प्रतिभूति राशि ई–निविदा की समस्त प्रक्रिया सम्पन्न उपरांत 30 दिवस में वापिस की जावेगी। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित किये जाने पर द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि 30 दिवस में वापिस की जावेगी।

8. निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा की शर्तों का अवलोकन निविदाकार द्वारा किया जाकर तदानुसार ही निविदा प्रस्तुत की जाये, यह जवाबदारी निविदाकार की होगी।

9. किसी पार्टनरशिप फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

10. निविदा समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी समय सकारण निविदाऐं निरस्त करके पुनः आमंत्रित करने अथवा नस्तीबद्ध करने का निर्णय लेने में सक्षम होगें।

11. निविदा में भरी जाने वाली दर में मशीनों की मरम्मत में उपयोग होने वाले कलपुर्जे आदि सम्मिलित रहेगें, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान भोपाल दुग्ध संघ स्तर से नही किया जावेगा।

12. निविदा में दर्शाया गया कार्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं शीत केन्द्रों में स्थापित उपकरणों के रख–रखाव से सम्बंधित है। अतः समय पर सेवाएं/समस्याओं का त्वरित निदान करना आवश्यक है। निविदाकार के लिए किसी भी स्थिति में अस्वीकृत सामग्री को स्वीकार करने के लिए या स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या तो नगद या वस्तु या किसी भी रूप में मुआवजे की पेशकश करके निविदाकार द्वारा किसी भी अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। किसी भी तरह से अगर यह संज्ञान में आता है कि निविदाकार अथवा उनके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि/एजेंट ने दुग्ध समिति के किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह का अनुचित व्यापार/व्यवहार किया है तो कार्यादेश तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा।

13. यदि समिति में स्थित उपकरण में बड़ी खराबी होती है, जिसका निराकरण एक–दो दिवस में नही होने की स्थिति में निविदाकार को समिति को एक स्टैंड–बाय उपकरण दिया जाना आवश्यक होगा, स्टैंड–बाय उपकरण का रख–रखाव निविदाकार द्वारा किया जावेगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/– का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगें। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

15. यदि निविदाकार द्वारा निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन अपेक्षित सेवाएं प्रदान नही करता है तो दुग्ध संघ द्वारा आदेश निरस्त किया जाकर, निविदाकर्ता को काली सूची में डाला जावेगा तथा निविदा की प्रतिभूति राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।

16. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं निर्धारित सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य होगा।

17. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री आदि नही होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर एवं जॉच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

18. किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

19. शासन/आयकर विभाग से यदि जीएसटी नियमों में कोई संशोधन किया जाता है तो नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती निविदाकार के देयक/बिल में से किया जायेगा, जो कि निविदाकार को मान्य होगा।

20. निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को मान्य कर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

21. निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त में कोई संशोधन करने, नई शर्त जोड़ने या उल्लेखित शर्तों में आंशिक संशोधन करने या उसे शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ही होगा।

22. निविदा को आंशिक/पूर्ण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के पास सुरक्षित रहेगा, एवं यह अन्तिम होकर सभी को स्वीकार्य होगा।

23. निविदाकार एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

(रूपये 1000/– के नान् ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर पर)

:: अनुबंध पत्र ::

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक . . . . . . को निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया :–

प्रथम पक्षकार : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी संयंत्र हबीबगंज, भोपाल।

द्वितीय पक्षकार : . . . .

यह अनुबंध उक्त पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जाता है :–

1) यह कि, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल से सम्बद्ध दुग्ध समितियों, दुग्ध शीत केन्द्रों एवं मुख्य डेयरी संयंत्र हबीबगंज में द्वितीय पक्षकार द्वारा इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरण यथा आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan), आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan) एवं इलेक्ट्रानिक मिल्कों टेस्टर + इलेक्ट्रानिक वेइंग स्केल (EMT+EWS) जिसे अनुबंध में आगे "**उपकरण**" लिखा गया है, के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के वार्षिक रख–रखाव मय समस्त स्पेयर पार्ट्स हेतु प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को दिनांक . . . . . से दिनांक . . . . .तक की अवधि के लिये अनुबंधित किया जाता है।

2) यह कि दिनांक . . . . . से दिनांक . . . . . . तक की अवधि हेतु उपकरणों की वार्षिक दरें आगामी 03 वर्ष तक निम्नानुसार होगी, जिसमें उक्त निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।

क्र	उपकरण का नाम	कम्पनी का नाम	अनुमानित उपकरणों की संख्या	स्थान	प्रति इकाई वार्षिक रख रखाव दर	टैक्स विवरण	योग
1	आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan)	रील	298	भोपाल/सीहोर/राजगढ़/ बैतूल/शाजापुर/गुना/ रायसेन/विदिशा/होशंगाबाद			
		आकाश गंगा	230				
		प्राम्प्ट	60				
2	आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT)	रील	72	सीहोर/राजगढ़/ बैतूल/शाजापुर			
3	डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+EMT)	रील	50	भोपाल/सीहोर/राजगढ़/बैतूल /शाजापुर/रायसेन/विदिशा/ होशंगाबाद			
4	डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan)	स्टेप्लेप्स	155	सीहोर/राजगढ़/बैतूल/ शाजापुर/गुना/रायसेन/ होशंगाबाद/हरदा			
3	इलेक्ट्रानिक मिल्कों टेस्टर (EMT+EWS)	रील	200	भोपाल/सीहोर/राजगढ़/ बैतूल/शाजापुर/गुना/ रायसेन/विदिशा/होशंगाबाद			

3) यह कि, उपकरणों का वार्षिक रख–रखाव का स्तर निम्नानुसार होगा :–

–	जिन दुग्ध समितियों में आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan), आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+EMT), एवं डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan) संचालित है, उनका रख–रखाव / सविर्सिंग रिपेयरिंग आदि	समिति स्तर पर
–	जिन दुग्ध समितियों में केवल ई.एम.टी अथवा ई. डब्लू.एस. अथवा दोनों संचालित है, उनका रख–रखाव, सविर्सिंग / रिपेयरिंग आदि	शीत केन्द्र / भोपाल डेयरी संयंत्र स्तर पर

4) यह कि, द्वितीय पक्षकार को समितियों, शीत केन्द्रों एवं भोपाल डेयरी संयंत्र पर निम्नानुसार विजिट देना आवश्यक होगा :–

–	जिन दुग्ध समितियों में आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan), आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT), डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+EMT), एवं डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan)संचालित है, उन समितियों में	वर्ष में कम से कम 3 बार सामान्य स्थिति में सूचना मिलने पर 2 कार्य दिवस के अन्दर
–	जिन दुग्ध समितियों में केवल ई.एम.टी अथवा ई. डब्लू.एस. अथवा दोनों संचालित है, उनसे सम्बद्ध शीत केन्द्रों में	प्रत्येक माह में एक / दो बार (केम्प से सम्बद्ध समितियों में उपकरणों की संख्या के आधार पर)

प्रथम पक्षकार द्वारा शीत केन्द्रों पर विजिट देने का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा, जिसका परिपालन द्वितीय पक्षकार को करना होगा।

5) यह कि, द्वितीय पक्षकार रख–रखाव हेतु योग्य एवं व्यवहार कुशल कर्मचारियों को ही अनिवार्य रूप से विजिट पर भेजेगा।

6) यह कि, द्वितीय पक्षकार के पास, विजिट के दौरान उपकरणों में लगने वाले कल पुर्जे(स्पेयर पार्टस) पर्याप्त मात्रा / संख्या में सदैव उपलब्ध होना चाहिये।

7) यह कि, द्वितीय पक्षकार को उपकरणों में निर्धारित मानक वाले कल पुर्जे(स्पेयर पार्टस) ही लगाने होगें, अमानक स्तर के कल पुर्जे(स्पेयर पार्टस) उपकरणों में लगाने की दशा में प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करेंगा।

8) यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा दुग्ध समितियों के खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ग्राम सहकारी से मुख्यालय या चिलिंग सेंटर में मरम्मत के लिए लाने की व्यवस्था करेंगा।

यदि समिति में स्थित उपकरण में बड़ी खराबी होती है, जिसका निराकरण एक–दो दिवस में नही होने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को समिति को एक स्टैंड–बाय उपकरण दिया जाना आवश्यक होगा, स्टैंड–बाय उपकरण का रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।

9) निविदा में भरी जाने वाली दर में मशीनों की मरम्मत में उपयोग होने वाले कलपुर्जे आदि सम्मिलित रहेगें, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान भोपाल दुग्ध संघ स्तर से नही किया जावेगा।

10) यह कि, उपकरणों के वार्षिक रख–रखाव मय समस्त स्पेयर पार्ट्स की राशि प्रथम पक्षकार द्वारा वर्ष में मासिक भुगतान की जावेगी। प्रथम पक्षकार द्वारा प्रत्येक माह में एक बार द्वितीय पक्षकार के कार्य परफारमेंस की समीक्षा की जावेगी। द्वितीय पक्षकार के कार्य परफारमेंस की रिपोर्ट संतोषजनक पाये जाने की दशा में ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।

11) यह कि, द्वितीय पक्षकार को दुग्ध शीत केन्द्रों पर विजिट देने के दौरान सम्बंधित शीत केन्द्र प्रबंधक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से विजिट प्रमाण–पत्र लेना होगा। विजिट प्रमाण–पत्र का प्रारूप ANNEXURE –VI पर संलग्न है, जो कि इस अनुबंध का भाग है।

12) यह कि, द्वितीय पक्षकार को उपकरणों में लगने वाले कल पुर्जों (स्पेयर पार्टस) की सूची मूल्य एवं टैक्स सहित, प्रथम पक्षकार को उपलब्ध करानी होगी।

13) यह कि, द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपकरणों के बदले गये स्पेयर पार्टस/रिपेयरिंग के देयक दो प्रतियों में प्रथम पक्षकार को उपलब्ध कराना होगा। देयक के साथ सर्विस जॉब रिपोर्ट एवं विजिट प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। इनके अभाव में देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।

14) यह कि, द्वितीय पक्षकार समितियों से प्राप्त सूचना पर निर्धारित समयावधि अथवा प्रथम पक्षकार द्वारा निर्धारित दिनांकों एवं समय पर शीत केन्द्रों पर विजिट नही देते(मुख्य त्यौहार एवं अन्य परिहार्य कारणों से) तो द्वितीय पक्षकार को एक दिवस पूर्व प्रथम पक्षकार एवं सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्र प्रबंधक को सूचित करना होगा, तथा अगले कार्य दिवस में विजिट देगा। यदि द्वितीय पक्षकार ऐसा करने में असफल रहता है तो प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार पर रूपये 1000.00(एक हजार रूपये) प्रति विजिट की दर से आर्थिक दण्ड अधिरोपित करेंगा।

15) यह कि, यदि द्वितीय पक्षकार समिति से उपकरण भोपाल कार्यालय में लाने को कहता है तो उसे इसका औचित्य सर्विस जॉब रिपोर्ट में दर्शाना होगा, इस हेतु व्ययों का भुगतान दुग्ध संघ/सम्बंधित दुग्ध समिति द्वारा नही किया जावेगा।

16) यह कि, वर्तमान स्थापित उपकरणों के रख–रखाव के लिए पार्टस उपलब्ध कराने एवं उनका रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी भी सम्बंधित कम्पनी की होगी। प्रोग्राम साफ्टवेयर एवं विडोज साफ्टवेयर भी उसी कम्पनी को देना होगा, जिसका कोई शुल्क देय नहीं होगा। किसी भी साफ्टवेयर के खराब होने पर पुनः इंस्टाल का भी कोई शुल्क देय नहीं होगा।

17) निविदा में दर्शाया गया कार्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं शीत केन्द्रों में स्थापित उपकरणों के रख–रखाव से सम्बंधित है। अतः समय पर सेवाएं/समस्याओं का त्वरित निदान करना आवश्यक है। निविदाकार के लिए किसी भी स्थिति में अस्वीकृत सामग्री को स्वीकार करने के लिए या स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या तो नगद या वस्तु या किसी भी रूप में मुआवजे की पेशकश करके निविदाकार द्वारा किसी भी अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। किसी भी तरह से अगर यह संज्ञान में आता है कि निविदाकार अथवा उनके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि/एजेंट ने दुग्ध समिति के किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह का अनुचित व्यापार/व्यवहार किया है तो कार्यादेश तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा।

18) यह कि, द्वितीय पक्षकार समिति के उन उपकरणों का ही रख–रखाव करेगा, जो प्रथम पक्षकार की अनुशंसा अथवा माध्यम से समिति को प्रदाय किये गये है।

19) यह कि, द्वितीय पक्षकार को अपनी कम्पनी/अपना आयकर पैन/जीएसटी नम्बर देना अनिवार्य होगा, बिना आयकर पैन/जीएसटी नम्बर के देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। देयकों का भुगतान आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से होगा, जिस हेतु द्वितीय पक्षकार को अपनी कम्पनी के बैंक खाते के विवरण की जानकारी देनी होगी।

20) यह कि, शासन/आयकर विभाग से यदि जीएसटी नियमों कोई संशोधन किया जाता है तो उसके नियमानुसार ही प्रथम पक्षकार द्वारा कटौत्रा कर वार्षिक रख–रखाव राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार किया जायेगा, जो कि उसे मान्य होगा, अन्यथा प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रतिभूति राशि राजसात कर निविदा निरस्त की जायेगी।

21) यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा किसी भी समिति में जाकर नगद भुगतान लेकर कार्य नही किया जाये, यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

22) न्यायालयीन कार्यक्षेत्र भोपाल होगा।

23) प्रारंभ में कार्य की वैधता तीन वर्ष की होगी, जिसे दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से अनुबंध अवधि क्रमशः 1–1 वर्ष करके अधिकतम 02 वर्षों हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

24) यह कि, किसी भी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त अनुबंध पत्र अपनी स्वेच्छा पूर्वक शुद्ध चित एवं बिना किसी दबाव के पूर्ण होश–हवास में निम्न साक्षियों के समक्ष पढकर व समझकर हस्ताक्षित कर निष्पादित किया गया।

स्थान :

दिनांक :

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**	**हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता** .... **नाम** .... **पिता/पति का नाम** .... **पता** .... **दूरभाष क्रं.** .... **मोबाईल नम्बर** .... **स्थाई लेखा संख्या पेन** ....

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

1 हस्ताक्षर ——————————
नाम ——————————
पता ——————————
मो0 नं. ——————————
आई.डी. प्रूफ ——————————

2 हस्ताक्षर ——————————
नाम ——————————
पता ——————————
मो0 नं. ——————————
आई.डी. प्रूफ ——————————

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

1 हस्ताक्षर ——————————
नाम ——————————
पता ——————————
मो0 नं. ——————————
आई.डी. प्रूफ ——————————

2 हस्ताक्षर ——————————
नाम ——————————
पता ——————————
मो0 नं. ——————————
आई.डी. प्रूफ ——————————

ANNEXURE -IV

निविदा भरने हेतु अनिवार्य अहताऐं (चेक लिस्ट)
(ऑन–लाइन अप–लोड़ सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर एवं सील आवश्यक है।)

क्रं.	दस्तावेज विवरण	सत्यापित
1.	ऑन–लाइन टेण्डर, फीस एवं ई.एम.डी. की स्केन प्रति	
2.	निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित	
3.	अधिकृत व्यक्ति हेतु कम्पनी/फर्म का लेटर पेड सील एवं हस्ताक्षर सहित	
4.	पेन कांपी सील एवं हस्ताक्षर सहित	
5.	जीएस.टी प्रमाण–पत्र सील एवं हस्ताक्षर सहित	
6.	कम्पनी/फर्म पंजीयन की प्रति सील एवं हस्ताक्षर सहित	
7.	विगत 3 वित्तीय वर्ष (2018–19, 2019–20 एवं 2020–21), के आईटीआर की प्रति सील एवं हस्ताक्षर सहित	
8.	सहकारी दुग्ध संघों एवं अन्य संस्थाओं में वार्षिक रख–रखाव कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र सील एवं हस्ताक्षर सहित	
9.	भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र जिलों के केन्द्रों एवं सेवा कर्मियों की सूची सील एवं हस्ताक्षर सहित	
11.	दुग्ध संघों एवं शासकीय संस्था में ब्लेक लिस्ट न होने का स्व प्रमाणित प्रमाण–पत्र अन्य दस्तोवज सील एवं हस्ताक्षर सहित	
12.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन की प्रति सील एवं हस्ताक्षर सहित	
13.	वजन माप नियंत्रक प्रमाण–पत्र की प्रति सील एवं हस्ताक्षर सहित(ई.डब्लू.एस.)	
14.	अन्य दस्तोवज सील एवं हस्ताक्षर सहित	

ANNEXURE -IV

निविदा प्रपत्र

प्रति, दिनॉक –

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

विषय – इलेक्ट्रानिक दुग्ध संकलन एवं परीक्षण उपकरणों के वार्षिक रख रखाव हेतु दर के सम्बंध में।

संदर्भ – आपकी निविदा क्रमॉक . . . . दिनॉक . . . .।

समस्त जानकारी ऑन–लाइन भरी जावे एवं दस्तावेजों की स्केन प्रति केवल ऑन–लाईन अपलोड ही की जावे।

1– कम्पनी/फर्म का नाम :–

2– कम्पनी/फर्म का पत्राचार का पता :–

3– कम्पनी/फर्म का दूरभाष क्रमॉक/मोबाइल क्रमॉक एवं ई–मेल :– दूरभाष क्रमॉक–
मोबाईल क्रमॉक–
ई–मेल आई.डी.–

4– कम्पनी का पेन क्रमॉक (प्रमाणित प्रति संलग्न करे) :–

5– कम्पनी का जी.एस.टी. क्रमॉक (प्रमाणित प्रति संलग्न करे) :–

6– कम्पनी का बैंक खाता विवरण (निरस्त चेक की प्रति संलग्न करे) :– बैंक का नाम –
बैंक शाखा का नाम–
बैंक खाता क्रमॉक–
आई.एफ.एस.सी. कोड क्रमॉक–

7– प्रतिभूति राशि जमा का विवरण (ऑन–लाईन प्रति जमा करे) :– क्रमांक
दिनॉक –

हस्ताक्षर एवं कम्पनी की सील

ANNEXURE -V

भाव–पत्रक

1– उपकरणों के हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के वार्षिक रख–रखाव मय समस्त स्पेयर पार्ट्स दर विवरण :–

क्र	उपकरण का नाम	कम्पनी का नाम	अनुमानित उपकरणों की संख्या	स्थान	प्रति इकाई वार्षिक रख रखाव दर	टैक्स विवरण
1	आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+EWS+Milk Analyzer(Lactoscan)	रील	298	भोपाल / सीहोर / राजगढ़ / बैतूल / शाजापुर / गुना / रायसेन / विदिशा / होशंगाबाद		
		आकाश गंगा	230			
		प्राम्प्ट	60			
2	आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (Computer+Printer+ EWS+EMT)	रील	72	सीहोर / राजगढ़ / बैतूल / शाजापुर		
3	डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+EMT)	रील	50	भोपाल / सीहोर / राजगढ़ / बैतूल / शाजापुर / रायसेन / विदिशा / होशंगाबाद		
4	डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (Data Processor+ Printer+ EWS+ Milk Analyzer(Lactoscan)	स्टेप्लेप्स	155	सीहोर / राजगढ़ / बैतूल / शाजापुर / गुना / रायसेन / होशंगाबाद / हरदा		
3	इलेक्ट्रानिक मिल्कों टेस्टर (EMT+EWS)	रील	200	भोपाल / सीहोर / राजगढ़ / बैतूल / शाजापुर / गुना / रायसेन / विदिशा / होशंगाबाद		

नोट – दर केवल आन–लाईन भरी जावेगी।

हस्ताक्षर एवं कम्पनी की सील

ANNEXURE -VI

.... दुग्ध शीत केन्द्र .... जिला–..........................

–: विजिट प्रमाण–पत्र :–

1.	कम्पनी प्रतिनिधि का नाम		
2.	शीत केन्द्र पर दी गई विजिट दिनांक		समय :
3.	शीत केन्द्र से जाने की दिनांक		समय :
4.	कुल कितने उपकरणों का सुधार किया गया	उपकरण विवरण	संख्या
		ई.एम.टी.	
		ई.डब्लू.एस.	
5.	विजिट दिनांक पर शेष सुधार योग्य उपकरणों का विवरण	उपकरण विवरण	संख्या
		ई.एम.टी.	
		ई.डब्लू.एस.	
6.	शेष उपकरणों के सुधार न हो पाने का संक्षिप्त कारण एवं संभावित सुधार दिनांक		

हस्ताक्षर

सर्विस इंजीनियर :
नाम :–
कम्पनी का नाम :–

हस्ताक्षर

प्रबंधक का नाम :–
(सील लगाकर हस्ताक्षर करना है।)

नोट :– विजिट प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में बनाया जाकर, एक प्रति कम्पनी प्रतिनिधि को देना है।